मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गिरी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) एम ए सी प्रकरण संख्या 319/2021

1. कनिष्का आयु 12 साल
2. कनिका आयु 10 साल
3. तनुजा यादव आयु 8 साल

समस्त पुत्रियां स्व0 सुनिल कुमार समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक चाचा रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर– 9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं

4. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर– 9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं जरिये मुख्यतार खास श्रीमती उषा यादव पत्नी रघुवीर सिंह आयु 26 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर 9, ग्राम मैणास तहसील नवलगढ

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र लिछमण आयु 37 साल जाति जाट निवासी ढाणी हटीदान चारण तन नागरदास पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राज0
(वाहन चालक वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर राज0
(वाहन स्वामी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
3. दी ओरियंटल इंश्योंरेस कंपनी लि0 स्थानीय शाखा यश टावर, बजाज रोड सीकर तहसील व जिला सीकर राज0
(बीमा कंपनी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वासुदेव उम्र 43 साल जाति अहीर निवासी ग्राम मैणास पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझूंनू राज0

(वाहन चालक वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

5. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 47 साल निवासी अबोहर पुलिस थाना अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब

(वाहन स्वामी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

6. एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 उपासना टॉवर, ऑफिस नंबर–2, सी–98, थर्ड फ्लोर संघवी सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक(बीमा कंपनी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

– **अप्रार्थीगण–**

(2) <u>एम ए सी प्रकरण संख्या 320/2021</u>

1. कनिष्का आयु 12 साल
2. कनिका आयु 10 साल
3. तनुजा यादव आयु 8 साल

समस्त पुत्रियां स्व0 सुनिल कुमार समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक चाचा रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर– 9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं

4. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर– 9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं जरिये मुख्यतार खास श्रीमती उषा यादव पत्नी रघुवीर सिंह आयु 26 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर 9, ग्राम मैणास तहसील नवलगढ

—— **प्रार्थीगण**

<u>बनाम</u>

1. नेमीचंद पुत्र लिछमण आयु 37 साल जाति जाट निवासी ढाणी हटीदान चारण तन नागरदास पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राज0

(वाहन चालक वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)

2. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर राज0
(वाहन स्वामी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)

3. दी ओरियंटल इंश्योंरेस कंपनी लि0 स्थानीय शाखा यश टावर, बजाज रोड सीकर तहसील व जिला सीकर राज0
(बीमा कंपनी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)

4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वासुदेव उम्र 43 साल जाति अहीर निवासी ग्राम मैणास पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझूंनू राज0
(वाहन चालक वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

5. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 47 साल निवासी अबोहर पुलिस थाना अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब
(वाहन स्वामी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

6. एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 उपासना टॉवर, ऑफिस नंबर–2, सी–98, थर्ड फ्लोर संघवी सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक(बीमा कंपनी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

—— अप्रार्थीगण

(3) <u>एम ए सी प्रकरण संख्या 321/2021</u>

1. कनिष्का आयु 12 साल
2. कनिका आयु 10 साल
3. तनुजा यादव आयु 8 साल

समस्त पुत्रियां स्व0 सुनिल कुमार समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक चाचा रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर– 9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं

4. रघुवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखाराम आयु 32 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर–9 ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं जरिये मुख्यतार खास श्रीमती उषा यादव पत्नी रघुवीर सिंह आयु 26 साल जाति यादव निवासी वार्ड नंबर 9, ग्राम मैणास तहसील नवलगढ

—— प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. नेमीचंद पुत्र लिछमण आयु 37 साल जाति जाट निवासी ढाणी हटीदान चारण तन नागरदास पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राज0
(वाहन चालक वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर राज0
(वाहन स्वामी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
3. दी ओरियंटल इंश्योंरेस कंपनी लि0 स्थानीय शाखा यश टावर, बजाज रोड सीकर तहसील व जिला सीकर राज0
(बीमा कंपनी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वासुदेव उम्र 43 साल जाति अहीर निवासी ग्राम मैणास पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझूंनू राज0
(वाहन चालक वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)
5. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 47 साल निवासी अबोहर पुलिस थाना अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब
(वाहन स्वामी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)
6. एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 उपासना टॉवर, ऑफिस नंबर–2, सी–98, थर्ड फ्लोर संघवी सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर राज0

जरिये शाखा प्रबन्धक(बीमा कंपनी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

—— अप्रार्थीगण

(4) <u>एम ए सी प्रकरण संख्या 322/2021</u>

1. कोमल आयु 20 साल पुत्री सुन्दरमल

2. दिनेश आयु 17 साल पुत्र सुन्दरमल

समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता सुन्दरलाल पुत्र रेखाराम जाति यादव निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं राज0

3. सुन्दरलाल पुत्र रेखाराम आयु 48 साल जाति यादव निवासी ग्राम मैणास तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनूं राज0

——प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. नेमीचंद पुत्र लिछमण आयु 37 साल जाति जाट निवासी ढाणी हटीदान चारण तन नागरदास पुलिस थाना रामगढ सेठान जिला सीकर राज0
   (वाहन चालक वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र 32 साल जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर राज0
   (वाहन स्वामी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
3. दी ओरियंटल इंश्योंरेस कंपनी लि0 स्थानीय शाखा यश टावर, बजाज रोड सीकर तहसील व जिला सीकर राज0
   (बीमा कंपनी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407)
4. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वासुदेव उम्र 43 साल जाति अहीर निवासी ग्राम मैणास पुलिस थाना नवलगढ जिला झुंझूंनू राज0
   (वाहन चालक वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

5. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 47 साल निवासी अबोहर पुलिस थाना अबोहर जिला फाजिल्का, पंजाब

(वाहन स्वामी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

6. एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 उपासना टॉवर, ऑफिस नंबर–2, सी–98, थर्ड फ्लोर संघवी सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक(बीमा कंपनी वाहन नंबर पीबी 22 एम 1124)

– अप्रार्थीगण

क्षतिपूर्ति याचिका अंतर्गत धारा 166 व 140 मोटरयान अधिनियम, 1988 सपठित नियम 10(2)(3) राज0 मोटर व्हीकल रूल्स 1990

उपस्थित –

1. श्री ताराचंद यादव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (सभी याचिकाओं में)
2. श्री सुरेश भास्कर, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 (सभी याचिकाओं में)
3 श्री रविन्द्र सिंह मौर्य, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं.3 (सभी याचिकाओं में)
4. अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही (सभी याचिकाओं में)
5. श्री नवीन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 (सभी याचिकाओं में)

दावा पेश करने की दिनांक (सभी याचिकाओं में)	**:– 21/09/2021**
दावा दर्ज करने की दिनांक (सभी याचिकाओं में)	**:– 25/10/2021**
प्रकरण में अंतिम बहस सुनवाई	**:– 11/05/2026**
निर्णय की दिनांक	**:– 26/05/2026**

:: निर्णय ::

दिनांक : – 26/05/2026

(1) उक्त याचिकायें धारा 140/166 मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं सपठित

नियम 10(2)(3) राजस्थान मोटर व्हीकल रूल्स, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत याचिका सं. 319/2021 शान्ति देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 76,90,000/– रूपये, याचिका सं. 320/2021 भीखाराम की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,15,04,000/– रूपये, याचिका सं. 321/2021 गीता देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,37,50,000/– रूपये, याचिका सं. 322/2021 दुर्गा देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,31,50,000/– रूपये,प्रस्तुत की हैं।

(2) प्रार्थीगण की तरफ से अपने क्लैम याचिका में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.2020 को समय करीब 8.30 एएम पर मृतका शान्ति देवी, भीखाराम, गीता देवी व दुर्गादेवी वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 पर सवार होकर ग्राम जायल जा रहे थे। जैसे ही वे लोग ग्राम तासर जाने वाली सडक पर पावर ग्रिड के आगे गोचर भूमि व हेमराज बगडिया की कृषि भूमि के सामने पहुंचे तभी वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 का चालक अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से लहराते हुए अपनी लाईन छोडकर तेजगति से रोंग साईड में लाया तथा मृतकों द्वारा सवार सही दिशा में चल रही कार के टक्कर मार दी जिससे टक्कर लगने से शान्ति देवी, भीखाराम, गीता देवी व दुर्गादेवी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक अप्रार्थी सं. 1 व वाहन कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के चालक अप्रार्थी सं. 4 की लापरवाही के कारण घटित हुई, जो उक्त वाहन को उनके पंजीकृत स्वामी क्रमशः अप्रार्थी सं. 2 व 5 के हितार्थ एवं लाभार्थ चला रहे थे तथा उक्त वाहन क्रमशः अप्रार्थी सं. 3 व 6 बीमा कंपनी के यहां बीमित थे, इसलिए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से प्रतिकर दिलाया जाए।

(3) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत कर याचिका में अंकित लगभग सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि उक्त दुर्घटना में वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की कोई गलती व

लापरवाही नहीं रही है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वाहन कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के चालक ने अपनी कार को बहुत ही तेजगति व लापरवाही से चलाया जिसके कार के दाहिनी ओर आगे का टायर अचानक फट गया जिससे कार अनबैलेंस होकर अपनी सही दिशा एवं साइड में चल रहे ट्रक टेंकर से टकरा गयी जिससे कार में सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जो कि नक्शा मौका से पूर्णतया प्रमाणित है परंतु आवेदकगण ने मुकामी पुलिस से मिलकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करवाया है जबकि अप्रार्थी सं. 1 की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है। फिर भी माननीय न्यायालय किन्ही सूक्ष्म कारणों से जवाबदातागण के वाहन को उत्तरदायी ठहराता है तो वरवक्त घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था इसलिए आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का दायित्व बीमा कंपनी का है। अंत में अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने स्वयं के विरूद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

(4) अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत कर याचिका में अंकित लगभग सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि कथित दुर्घटना वाहन संख्या कार पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सही दिशा में चल रहे ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के टक्कर मारने से घटित हुई है जिसमें संपूर्ण लापरवाही कार चालक की ही रही है। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान बनाये गये नक्शा मौका को देखा जाये तो साफ जाहिर होता है कि वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा रोंग साईड में आकर घटना कारित की गयी जिससे संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 की ही बनती है। इस घटना में वाहन संख्या ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 की कोई गलती व लापरवाही नहीं होने के कारण बीमा कंपनी की कोई देयता नहीं बनती है और अंत में अप्रार्थी सं. 3 ने स्वयं के विरूद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

(5)अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

(6) अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत कर याचिका में अंकित लगभग सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि कथित दुर्घटना वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सडक पर सही दिशा में चलती हुई कार संख्या पीबी 22 एम 1124 के टक्कर मारने से घटित हुई है जिसमें संपूर्ण लापरवाही ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की ही रही है। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में भी उसके चालक के विरूद्ध ही चालान पेश किया है। इससे साबित होता है कि मृतको द्वारा सवार कार संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक की उक्त दुर्घटना में कोई लापरवाही नहीं रही है। इसलिए उक्त कार की बीमा कंपनी अप्रार्थी 6 की कोई देयता नहीं बनती है किन्तु प्रार्थीगण व उनके परिजनों ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत करवायी है। ऐसी स्थिति में उक्त घटना में वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 की कोई गलती व लापरवाही नहीं होने के कारण बीमा कंपनी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं है और अंत में अप्रार्थी सं. 6 ने स्वयं के विरूद्ध क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

(7) उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 29.09.2025 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :-

(1) क्या वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 नेमीचंद द्वारा दिनांक 05.11.2020 को करीब 08.30 एएम बजे स्थान पावर ग्रिड के आगे गोचर भूमि व हेमराज बगडिया की कृषि भूमि के सामने तासर बडी पुलिस थाना सदर सीकर के क्षेत्राधिकार में आम सडक पर उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने

के दौरान घटित दुर्घटना में शांतिदेवी, गीता देवी, भीखाराम एवं दुर्गा देवी के शरीर पर आयी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई?
—— प्रार्थीगण

(2) क्या वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 वाहन स्वामी के हितार्थ एवं लाभार्थ उक्त वाहन का संचालन किया जिसकी बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 3 थी तथा वाहन नं पीबी 22 एम 1124 का चालक अप्रार्थी सं. 4 ने अप्रार्थी सं. 5 वाहन स्वामी के हितार्थ एवं लाभार्थ उक्त वाहन का संचालन किया, जिसकी बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 6 थी?

—— प्रार्थीगण

(3) क्या विपक्षीगण अपने अपने जवाब में अंकित आपत्तियों के अनुसार अपने दायित्व से मुक्त हो सकते है नहीं तो इसका प्रभाव ?

—— अप्रार्थीगण

(4) क्या प्रार्थीगण अपनी याचिका में अकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकते है, हां तो कितनी–कितनी राशि व किस प्रकार से?

—— प्रार्थीगण

(5) अनुतोष।

(8) याचिकाकर्ता द्वारा अपने क्लेम को प्रमाणित करने के लिए ए.ड.– 1 रघुवीर सिंह, एड 2 कनिष्का, एड 3 कोमल तथा ए.ड 4 महेन्द्र के बयान लेखबद्ध करवाये गए है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 49 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये। अप्रार्थीगण की ओर से गवाह एन.एड 1 सचिदानन्द उपाध्याय एवं गवाह एनएड 2

ज्योति शर्मा की साक्ष्य करवायी गयी है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए 1 लगायत एन.ए 9 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये है।

(9) प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से क्लेम याचिका में दर्ज समस्त तथ्यों को प्रमाणित किया है। अतः आवेदकगण को क्रमशः याचिकाओं में याचिका सं. सं. 319/2021 शान्ति देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 76,90,000/– रूपये, याचिका सं. 320/2021 भीखाराम की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,15,04,000/– रूपये, याचिका सं. 321/2021 गीता देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,37,50,000/– रूपये, याचिका सं. 322/2021 दुर्गा देवी की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 1,31,50,000/– रूपये, प्रतिकर राशि मय ब्याज दिलाई जावें।

(10) अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अपने जवाब आवेदन में अंकित कथनों की पुनरावृति करते हुए स्वयं के विरूद्ध याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

(11) अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी की ओर से लिखित बहस पत्रावली पर पेश की गयी है एवं दौराने मौखिक बहस यह तर्क दिया गया है कि कथित दुर्घटना वाहन संख्या कार पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सही दिशा में चल रहे ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के टक्कर मारने से घटित हुई है जिसमें संपूर्ण लापरवाही कार चालक की ही रही है। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान बनाये गये नक्शा मौका को देखा जाये तो साफ जाहिर होता है कि वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा रोंग साईड में आकर घटना कारित की गयी जिससे संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 की ही बनती है। गवाह एड 1, एड 2 एड 3 और एड 4 के बयानों में

यह कहीं भी नहीं है कि नक्शा मौका प्रदर्श 20 गलत बना हो। गवाह एड 4 ने अपने बयानों में कहा है कि वे अपने गांव से जायल की तरफ जा रहे थे अर्थात् इसका मतलब यह हुआ कि दुर्घटना में बने नक्शा मौका में वाहन कार गलत दिशा में आकर ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 को टक्कर मारी है। अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि कार का टायर फटने के कारण कार का संतुलन बिगडने से कार गलत दिशा में जाकर ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 से जाकर टकरा गयी। उक्त गवाह द्वारा प्रदर्श एन.ए 2 लगायत एन.ए 5 प्रस्तुत किये गये है जिनको नक्शा मौका के साथ पढा जावे तो संपूर्ण स्थिति जाहिर होती है कि इस घटना में वाहन संख्या ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है। इसलिए बीमा कंपनी की कोई देयता नहीं बनती है।

(12) अप्रार्थी संख्या 6 बीमा कंपनी की ओर से लिखित बहस पत्रावली पर पेश की गयी है एवं दौराने मौखिक बहस यह तर्क दिया गया है कि कथित दुर्घटना वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर सडक पर सही दिशा में चलती हुई कार संख्या पीबी 22 एम 1124 के टक्कर मारने से घटित हुई है जिसमें संपूर्ण लापरवाही ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की ही रही है। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में भी उसके चालक के विरूद्ध ही चालान पेश किया है। इससे साबित होता है कि मृतको द्वारा सवार कार संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक की उक्त दुर्घटना में कोई लापरवाही नहीं रही है। इसलिए उक्त कार की बीमा कंपनी अप्रार्थी 6 की कोई देयता नहीं बनती है किन्तु प्रार्थीगण व उनके परिजनों ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत करवायी है। उक्त दुर्घटना में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में वाहन कार का चालक महेन्द्र सिंह साक्ष्य हेतु उपस्थित आया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य

में प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर कार के टक्कर मारना बताया है। इस गवाह ने यह कथन किया है कि घटना के समय उसका वाहन सही दिशा में चल रहा था। टक्कर लगने के बाद टायर फटा था। इस गवाह की साक्ष्य से यह साबित है कि उक्त घटना ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की गलती व लापरवाही के कारण ही घटित हुई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकर याचिका में कार सं. पीबी 22 एम 1124 के चालक स्वामी व बीमा कंपनी से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की गयी है। नक्शा मौका में जिन दो गवाहों को बताया है उनमें से एक पवन कुमार स्वयं पुलिस में कान्स्टेबल है जो कि पुलिस का गवाह स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दूसरा गवाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में जब उक्त दोनों ही गवाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो नक्शा मौका के गवाह की प्रास्थिति से स्वयं ही गलत होने के कारण नक्शा मौका साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त घटना में वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 की कोई गलती व लापरवाही नहीं होने के कारण बीमा कंपनी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्ण अवलोकन किया गया। अधिकरण द्वारा विरचित किये गये विवाद्यकों पर मेरा विवेचन निम्नवत है :—

<u>तनकी संख्या 1</u>

(13) इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण की तरफ से इस तनकी को साबित करने के लिए गवाह ए.ड 1 रघुवीर सिंह, एड 2 कनिष्का, एड 3 कोमल तथा ए.ड 4 महेन्द ने अपनी साक्ष्य दी है। उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से अपने वाहन को चलाकर मृतकों द्वारा सवार कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के टक्कर मारना बताया है और उक्त घटना में मृतक शान्ति

देवी, गीता देवी, भीखाराम एवं दुर्गादेवी की मृत्यु होने का कथन किया है। प्रकरण में उक्त कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के चालक, मालिक व बीमा कंपनी को भी पक्षकार बनाया गया है।

(14) उक्त गवाहान की साक्ष्य के खंडन में वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक, मालिक व बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से यह कथन किया गया है कि उक्त घटना में वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है जबकि उक्त घटना कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के टक्कर मारने के कारण घटित हुई है। इस संबंध में अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी की ओर से गवाह एनएड 2 ज्योति शर्मा की साक्ष्य करवायी गयी है एवं दस्तावेज प्रदर्श एन.ए 1 लगायत एन.ए 9 पत्रावली पर पेश किये है।

(15) जबकि प्रश्नगत कार नंबर पीबी 22 एम 1124 की बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 6 की ओर से इसका विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि उक्त घटना में मृतको द्वारा सवार कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के चालक की कोई उपेक्षा व लापरवाही नहीं रही है बल्कि प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर रोंग साईड में आकर कार के टक्कर मारी है। पुलिस ने भी प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के विरूद्ध ही चालान पेश किया है। इस घटना में वाहन कार नंबर पीबी 22 एम 1124 की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं पायी गयी है इसलिए बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 6 की क्षतिपूर्ति अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता है। इस संबंध में उनकी ओर से गवाह एनएड 1 सचिदानन्द उपाध्याय की साक्ष्य करवायी गयी है।

(16) मेरे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के

प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया और मैं यह पाता हूं कि प्रकरण में दोनों पक्षों में यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त घटना, वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 एवं कार नंबर पीबी 22 एम 1124 में टक्कर के परिणामस्वरूप घटित हुई है और उक्त घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप मृतक शान्ति देवी, भीखाराम, गीता देवी एवं दुर्गा देवी की मृत्यु कारित हुई है।

(17) प्रकरण में विवादास्पद बिन्दू यह है कि इस घटना में वास्तव में किस वाहन की गलती एवं लापरवाही के कारण उक्त घटना घटित हुई है। इस संबंध में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 14 उक्त घटना की एफआईआर है जिसमें दिनांक 05.11.2020 को उक्त घटना घटित होना बताया गया है और उसी दिन बिना किसी विलंब से घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। उक्त रिपोर्ट में वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन कार सं. पीबी 22 एम 1124 के टक्कर मारने का कथन अंकित किया गया है। अर्थात् घटना के तुंरत बाद दर्ज एफआईआर में प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही से उक्त घटना होना बताया गया है और उसके चालक के विरूद्ध ही एफआईआर दर्ज करायी गयी है। उक्त रिपोर्ट में कहीं भी वाहन कार नंबर पीबी 22 1124 के चालक की गलती व लापरवाही होना नहीं बतायी गयी है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अनुसंधान किया गया है एवं प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक को ही उक्त घटना का दोषी मानकर उसके विरूद्ध चालान पेश किया है जो कि प्रदर्श 15 है। स्वयं प्रश्नगत वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक ने अपने धारा 134 एमवीएक्ट के नोटिस प्रदर्श 18 में स्वयं के वाहन से एक्सीडेंट होना स्वीकार किया है।

(18) अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी की ओर से यह कथन किया गया है कि पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान बनाये गये नक्शा मौका को देखा जाये तो साफ जाहिर होता है कि वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक द्वारा रोंग साईड में आकर घटना कारित की गयी जिससे संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन संख्या पीबी 22 एम 1124 की ही बनती है एवं उनका यह कथन भी रहा है कि कार सं. पीबी 22 एम 1124 का टायर फटने से कार असंतुलित होकर वाहन टेंकर से टकरा गयी। इस संबंध में मेरे द्वारा घटना के नक्शा मौका प्रदर्श 20 का अवलोकन किया गया। उक्त नक्शा मौका में भी प्रश्नगत वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक नेमीचंद द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर कार नंबर पीबी 22 एम 1124 के टक्कर मारने का कथन अंकित किया गया है। उक्त नक्शा मौका जांच अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह द्वारा तैयार किया गया है एवं आरोप पत्र भी उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा ही पेश किया गया है। यदि उक्त घटना में कार संख्या पीबी 22 एम 1124 के चालक की वास्तव में उपेक्षा व लापरवाही होती तो, उसके चालक के विरूद्ध भी आरोप पत्र पेश किया जाता। हालांकि उक्त नक्शा मौका में कार को रोंग साईड में दर्शाया गया है परंतु जांच अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में प्रश्नगत कार की कोई उपेक्षा व लापरवाही नहीं मानी गयी है। उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक के विरूद्ध पेश आरोप पत्र में नक्शा मौका, गवाहान की साक्ष्य, एमटीओ, मृतको पीएमआर इत्यादि दस्तावेजों का हवाला दिया गया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि उक्त घटना में वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की उपेक्षा व लापरवाही प्रमाणित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त गवाहान रघुवीर सिंह, कनिष्का, कोमल व महेन्द्र सिंह की साक्ष्य में यह कहीं भी नहीं आया है कि उक्त घटना में कार नंबर पीबी 22 एम 1124 की कोई उपेक्षा व लापरवाही रही हो। गवाह महेन्द्र सिंह घटना का चश्मदीद साक्षी है जिसने अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत ट्रक

टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक द्वारा रोंग साइड में आकर उनकी कार के टक्कर मारना बताया है। इस गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उनकी कार का टायर फटने से कार असंतुलित होकर वाहन टेंकर से टकरायी हो और दुर्घटना कारित हुई हो। पत्रावली पर यह तथ्य कहीं भी साबित नहीं है कि टायर फटने से कार असंतुलित होकर टेंकर से टकराने के कारण उक्त घटना कारित हुई है। नक्शा मौका प्रदर्श 20 जिन गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया है, वे घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना का एकमात्र चश्मदीद कार चालक महेन्द्र सिंह है जिसने घटना के तथ्यों की ताईद की है एवं उक्त घटना प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की उपेक्षा व लापरवाही से घटित होना बताया है। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट , आरोप पत्र, नक्शा मौका व अन्य फौजदारी दस्तावेजों गवाहान की साक्ष्य के समग्र विवेचन से उक्त घटना में प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की ही उपेक्षा व लापरवाही साबित होना पायी गयी है।

(19) मेरे मत में घटना के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से प्रश्नगत वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक की गलती एवं लापरवाही नहीं होने का आक्षेप अवश्य लिया है, किन्तु इस संबंध में बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण के समक्ष ऐसी कोई ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे घटना के विवरण के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से अधिकरण के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उसका खंडन होता हो। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से उठायी गयी समस्त आपत्तियां अस्वीकार की जाती है तथा उक्त घटना में कार नंबर पीबी 22 एम 1124 की उपेक्षा व लापरवाही साबित नहीं पाये जाने के कारण, वाहन के चालक, मालिक व बीमा कंपनी अप्रार्थी सं. 4 ता 6 को प्रतिकर के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह तथ्य साबित पाया जाता है कि दिनांक

05.11.2020 को वाहन ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उपेक्षा/उतावलेपन/दोषपूर्ण कृत्य व कर्तव्य में व्यतिक्रम करके वाहन से दुर्घटना कारित की गई जिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप शान्ति देवी, भीखाराम, गीता देवी एवं दुर्गादेवी उक्त दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई, जिसके लिये उक्त वाहन चालक उत्तरदायी है। अतः यह तनकी प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी सं. 4 ता 6 के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u>

(20) इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4 ता 6 को प्रतिकर के दायित्व से मुक्त किया गया है इसलिए केवल अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के संबंध में ही उक्त तनकी नियत की जा रही है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत ट्रक टेंकर नंबर आरजे 23 जीबी 7407 के चालक व मालिक को दिये गये नोटिस प्रदर्श 18 व 19 पत्रावली पर पेश किये है जिनके अवलोकन से उक्त प्रश्नगत वाहन का चालक अप्रार्थी सं. 1 नेमीचंद व मालिक अप्रार्थी सं. 2 चन्द्रप्रकाश होना साबित पाया जाता है। उक्त प्रश्नगत वाहन की आर.सी प्रदर्श 23 है एवं चालक नेमीचंद का डीएल प्रदर्श 39 है। उक्त वाहन घटना के समय अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था जिसकी बीमा पॉलिसी प्रदर्श 24 है।

उक्त तथ्यों के संदर्भ में अप्रार्थीगण की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः उक्त तनकी प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u>

(21) इस तनकी को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है। अप्रार्थीगण की ओर से इस तनकी को साबित करने के लिए ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया गया है जिससे वे प्रतिकर के दायित्व से मुक्त हो सकें। अतः तनकी सं. 3 अप्रार्थी सं. 1 ता

3 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4

(22) इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 4 ता 6 के पक्ष में तय हुई हैं और तनकी संख्या 3 अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध तय हुई है, इसलिए प्रार्थीगण, केवल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से ही संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार पाये जाते है।

जहां तक क्षतिपूर्ति में कितनी राशि देने का प्रश्न है, इस बारे में हम क्षतिपूर्ति राशि की गणना निम्न प्रकार करते है:—

याचिका संख्याः— 319/2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि

मृतक की आयु :—

(23) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक की आयु 54 वर्ष होना बताई गई है परंतु मृतक की पोस्टमार्टम में उसकी आयु 56 वर्ष अंकित की गयी है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है अतः मृतक की आयु उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर **56 वर्ष** निर्धारित की जाती है।

मृतक की आय :—

(24) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक को कृषि, पशुपालन व दुग्ध बेचने का कार्य करना बताया गया है एवं इससे उसकी मासिक आय 30,000/—रूपये होनी बतायी गयी है। प्रार्थीगण की ओर से कृषि भूमि की जमाबंदी एवं मृतक के बैंक स्टेटमेंट की फोटोप्रति प्रदर्श 6 पत्रावली पर पेश की गयी है जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है। मेरे मत में उक्त कृषि जमाबंदी एवं बैंक स्टेटमेंट से मृतक की कोई निश्चित आय होना साबित नहीं पायी गयी है। मृतक की आय को साबित करने के

लिए कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे मृतक की मासिक आय उक्त कार्यों से 30,000/–रूपये होना साबित होता हो। अतः मेरे मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को एक अकुशल श्रेणी की श्रमिक मानकर घटना दिवस दिनांक 05.11.2020 को लागू राजस्थान सरकार की श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी मासिक **आय 7560 –/रूपये** निर्धारित की जाती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **7560 X 12 = 90,720/– रूपये आती है।**

भविष्य वृद्धि

(25) हम ऊपर मृतक की वार्षिक आय **90,720/– रूपये** होना मान चुके है। इस आय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य (निर्णय दिनांक 31/10/2017)** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु **56** होने के कारण, रूपये **90,720** का **10** प्रतिशत राशि **9072 /–** रूपये और जोड़े जाने पर मृतक की काल्पनिक वार्षिक आय **90,720 + 9072 = 99,792** संगणित होती है।

स्वंय के खर्चे पेटे कटौतीः

(26) मृतक की आय् **99,792 /– रूपये वार्षिक** मानी गई है। जहां तक मृतक के स्वयं के खर्चे के रूप में कटौती का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में मृतका पर आश्रितों की संख्या 4 बताई गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में मृतक की आय में उसके स्वयं के खर्चे के पेटे 1/4 राशि कम किया जाना न्यायाचित है। अतः

मृतक की कुल वार्षिक आय **99,792 /–रूपये** में से 1/4 भाग अर्थात् 24,948 **रूपये** मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कम किए जाने पर **99,792 – 24,948 = 74,844/– रूपये वार्षिक** रह जाती है।

Multiplier (गुणांक)

(27) चूंकि मृतक की उम्र 56 वर्ष होना मानी गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतो व दिशा–निर्देशों की रोशनी में मृतक की उम्र 56 वर्ष होने के कारण इसमें 09 का Multiplier (गुणांक) का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है। अतः मृतक के आश्रितों को आय की क्षति के रूप में गणना करने पर **74,844 X 9 = 6,73,596/– रूपये (शब्दो में छह लाख तिहेत्तर हजार पांच सौ छियानवे रूपये)** होती है।

सम्पत्ति की हानि व अन्य व्यय के बारे में:

(28) जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप संपदा क्षति, मृतक के दाह संस्कार एवं प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न हैं, इस संबंध में सम्पति के नुकसान के मद में 15,000/– रूपये एवं मृतक के अंतिम संस्कार के मद में 15,000/– रूपये तथा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.2017 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 2705/2020 यूनाईटेड इन्श्योरेंस लिमिटेड कम्पनी बनाम शतीन्द्र कौर उर्फ शतविन्द्र कौर** की रोशनी में प्रार्थी सं. 1 ता 3 मृतक की पोत्रियों एवं प्रार्थी सं. 4 मृतक के पुत्र को **Perental**

Consortium स्वरूप **40000 X 4 = 1,60,000/– रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

क्र	मद व किस्म	राशि	कुल
1	आय की हानि के लिए	**74,844 X 9**	**6,73,596 /–रूपये**
2	मृतक के अंतिम संस्कार की मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
3	संपदा क्षति के मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
4	मृतक के पोत्रियों एवं पुत्र को प्रत्येक को	**40000 X 4/– रूपये**	**1,60,000/– रूपये**
	कुल राशि		**8,63,596/– रूपये**

प्रार्थीगण, उपरोक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि पूर्व में प्रार्थीगण ने कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हो तो वह राशि इसमें समायोजित होने योग्य है।

<u>याचिका संख्याः– 320/2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि</u>

<u>मृतक की आयु :–</u>

(29) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक की आयु 61 वर्ष होना बताई गई है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मृतक के पेंशन पेंमेट आर्डर प्रदर्श 38 ए में उसकी जन्म तिथि दिनांक 05.12.1959 अंकित है जिसके अनुसार घटना दिवस दिनांक 05.11.2020 को उसकी आयु 61 वर्ष होना साबित पायी जाती है। अतः मृतक की आयु 61 **वर्ष** निर्धारित की जाती है।

<u>मृतक की आय :–</u>

(30) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक को सेवानिवृत पेंशनधारी एक्स आर्मी मेन होना बताया गया है जिसे लगभग 23,000 रूपये पेंशन प्राप्त होना बताया गया है। साथ ही मृतक को कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी करना बताया है एवं उक्त कार्य से

मृतक की मासिक आय 40,000/—रूपये होनी बतायी गयी है। मृतक की कृषि एवं पशुपालन के कार्य से 40,000/—रूपये मासिक आय प्राप्त होने बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त कार्य से मृतक की मासिक आय 40,000/—रूपये साबित नहीं मानी जा सकती है। मृतक को पेंशन प्राप्त होने के संबंध में मृतक का पेंशन पेंमेट आर्डर प्रदर्श 38 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 38 ए, पेश किया गया है जिसके अवलोकन से मृतक का एक्स आर्मी मेन होना एवं पेंशनधारी होना साबित पाया जाता है। उक्त आर्डर घटना दिवस का नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक का बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श 35 पत्रावली पर पेश किया गया है जिसके अवलोकन से मृतक को घटना के समय 22,560/—रूपये पेंशन के रूप में प्राप्त होना साबित पाया जाता है। अतः मृतक की मासिक आय 22,560/—रूपये होना निर्धारित किया जाना उचित है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **22,560 X 12 = 2,70,720/— रूपये आती है।**

भविष्य वृद्धि

(31) हम ऊपर मृतक की वार्षिक आय **2,70,720/— रूपये** होना मान चुके है। इस आय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य (निर्णय दिनांक 31/10/2017)** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु **60** वर्ष से अधिक होने के कारण, उक्त आय में कोई भविष्य वृद्धि नहीं जोडी जा सकती है।

स्वंय के खर्चे पेटे कटौती:

(32) मृतक की आय् **2,70,720/— रूपये वार्षिक** मानी गई है। जहां तक मृतक के स्वयं के खर्चे के रूप में कटौती का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में मृतक पर आश्रितों की संख्या 4 बताई गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक

दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में मृतक की आय में उसके स्वयं के खर्चे के पेटे 1/4 राशि कम किया जाना न्यायाचित है। अतः मृतक की कुल वार्षिक आय **2,70,720 /–रूपये** में से 1/4 भाग अर्थात् 67,680 **रूपये** मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कम किए जाने पर **2,70,720 – 67,680 = 2,03,040/– रूपये वार्षिक** रह जाती है।

Multiplier (गुणांक)

(33) चूंकि मृतक की उम्र 61 वर्ष होना मानी गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04. 2009** में प्रतिपादित सिद्धांतो व दिशा–निर्देशों की रोशनी में मृतक की उम्र 61 वर्ष होने के कारण इसमें 07 का Multiplier (गुणांक) का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है। अतः मृतक के आश्रितों को आय की क्षति के रूप में गणना करने पर **2,03,040 X 7 = 14,21,280/– रूपये (शब्दो में चौदह लाख इक्कीस हजार दो सौ अस्सी रूपये)** होती है।

सम्पत्ति की हानि व अन्य व्यय के बारे में:

(34) जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप संपदा क्षति, मृतक के दाह संस्कार एवं प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न हैं, इस संबंध में सम्पति के नुकसान के मद में 15,000/– रूपये एवं मृतक के अंतिम संस्कार के मद में 15,000/– रूपये तथा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड**

बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.2017 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 2705/2020 यूनाईटेड इन्श्योरेंस लिमिटेड कम्पनी बनाम शतीन्द्र कौर उर्फ शतविन्द्र कौर की रोशनी में प्रार्थी सं. 1 ता 3 मृतक की पोत्रियों एवं प्रार्थी सं. 4 मृतक के पुत्र को **Perental Consortium** स्वरूप **40000 X 4 = 1,60,000/– रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

क्र	मद व किस्म	राशि	कुल
1	आय की हानि के लिए	**2,03,040 X 7**	**14,21,280 /–रूपये**
2	मृतक के अंतिम संस्कार की मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
3	संपदा क्षति के मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
4	मृतक के पोत्रियों एवं पुत्र को प्रत्येक को	**40000 X 4/– रूपये**	**1,60,000/– रूपये**
	कुल राशि		**16,11,280/– रूपये**

प्रार्थीगण, उपरोक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि पूर्व में प्रार्थीगण ने कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हो तो वह राशि इसमें समायोजित होने योग्य है।

<u>याचिका संख्याः– 321/2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि</u>

<u>मृतक की आयु :–</u>

(35) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक की आयु 28 वर्ष होना बताई गई है। मृतक की पोस्टमार्टम में भी उसकी आयु 28 वर्ष अंकित की गयी है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है अतः मृतक की आयु उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 28 **वर्ष** निर्धारित की जाती है।

मृतक की आय :–

(36) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक को कृषि, पशुपालन व दुग्ध बेचने का कार्य करना बताया गया है एवं इससे उसकी मासिक आय 30,000/–रूपये होनी बतायी गयी है। प्रार्थीगण की ओर से कृषि भूमि की जमाबंदी एवं मृतक के बैंक स्टेटमेंट की फोटोप्रति प्रदर्श 13 पत्रावली पर पेश की गयी है जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है। मेरे मत में उक्त कृषि जमाबंदी एवं बैंक स्टेटमेंट से मृतक की कोई निश्चित आय होना साबित नहीं पायी गयी है। गवाह एड 1 ने मृतका को विधवा पेंशन प्राप्त होना बताया है परंतु विधवा पेंशन या अन्य पारिवारिक पेंशन, कमाई का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वह आश्रितों को मिलने वाला सामाजिक/सेवा लाभ है। इसलिए मृतका को मिलने वाली विधवा पेंशन को मृतक की आय की गणना में काम में नहीं लिया जा सकता है। मृतक की आय को साबित करने के लिए कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे मृतक की मासिक आय उक्त कार्यों से 30,000/–रूपये होना साबित होता हो। अतः मेरे मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को एक अकुशल श्रेणी की श्रमिक मानकर घटना दिवस दिनांक 05.11.2020 को लागू राजस्थान सरकार की श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी मासिक **आय 7560 –/रूपये** निर्धारित की जाती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **7560 X 12 = 90,720/– रूपये आती है।**

भविष्य वृद्धि

(37) हम ऊपर मृतक की वार्षिक आय **90,720/– रूपये** होना मान चुके है। इस आय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य (निर्णय दिनांक 31/10/2017)** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु

28 होने के कारण, रूपये **90,720** का **40** प्रतिशत राशि **36,288 /–** रूपये और जोड़े जाने पर मृतक की काल्पनिक वार्षिक आय **90,720 + 36,288 = 1,27,008** संगणित होती है।

<u>स्वंय के खर्चे पेटे कटौतीः</u>

(38) मृतक की आय् **1,27,008 /– रूपये वार्षिक** मानी गई है। जहां तक मृतक के स्वयं के खर्चे के रूप में कटौती का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में मृतका पर आश्रितों की संख्या 4 बताई गई है। परंतु प्रार्थी सं. 4 मृतका का देवर है जो कि मृतका की आय पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता है। अतः मृतका पर केवल तीन ही आश्रित माना जाना उचित है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में मृतक की आय में उसके स्वयं के खर्चे के पेटे <u>1/3</u> राशि कम किया जाना न्यायाचित है। अतः मृतक की कुल वार्षिक आय **42,336 /–रूपये** में से 1/3 भाग अर्थात् **रूपये** मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कम किए जाने पर **1,27,008 – 42,336 = 84,672/– रूपये वार्षिक** रह जाती है।

<u>Multiplier (गुणांक)</u>

(39) चूंकि मृतक की उम्र 28 वर्ष होना मानी गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतो व दिशा–निर्देशों की रोशनी में मृतक की उम्र 28 वर्ष होने के कारण इसमें 17 का Multiplier (गुणांक) का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है। अतः मृतक के आश्रितों को आय की क्षति के रूप में गणना करने

पर **84,672 X 17 = 14,39,424/— रूपये (शब्दो में चौदह लाख उनचालीस हजार चार सौ चौबीस रूपये)** होती है।

सम्पत्ति की हानि व अन्य व्यय के बारे में:

(40) जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप संपदा क्षति, मृतक के दाह संस्कार एवं प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न हैं, इस संबंध में सम्पति के नुकसान के मद में 15,000/— रूपये एवं मृतक के अंतिम संस्कार के मद में 15,000/— रूपये तथा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.2017 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 2705/2020 यूनाईटेड इन्श्योरेंस लिमिटेड कम्पनी बनाम शतीन्द्र कौर उर्फ शतविन्द्र कौर** की रोशनी में प्रार्थी सं. 1 ता 3 मृतक की पुत्रीयो को **Perental Consortium** स्वरूप **40000 X 3 = 1,20,000/— रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः—

क	मद व किस्म	राशि	कुल
1	आय की हानि के लिए	**84,672 X 17**	**14,39,424 /—रूपये**
2	मृतक के अंतिम संस्कार की मद में	**15,000/— रूपये**	**15,000/— रूपये**
3	संपदा क्षति के मद में	**15,000/— रूपये**	**15,000/— रूपये**
4	मृतक की पुत्रीयों को प्रत्येक को	**40000 X 3/— रूपये**	**1,20,000/— रूपये**
	कुल राशि		**15,89,424/— रूपये**

प्रार्थीगण, उपरोक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से संयुक्ततः व पृथक—पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि पूर्व में प्रार्थीगण ने कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति

राशि प्राप्त की हो तो वह राशि इसमें समायोजित होने योग्य है।

याचिका संख्याः— 322/2021 कोमल आदि बनाम नेमीचंद आदि

मृतक की आयु :—

(41) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक की आयु 34 वर्ष होना बताई गई है परंतु मृतक की पोस्टमार्टम में उसकी आयु 35 वर्ष अंकित की गयी है। प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है अतः मृतक की आयु उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर **35 वर्ष** निर्धारित की जाती है।

मृतक की आय :—

(42) क्लेम आवेदन पत्र में मृतक को कृषि, पशुपालन व दुग्ध बेचने का कार्य करना बताया गया है एवं इससे उसकी मासिक आय 35,000/—रूपये होनी बतायी गयी है। प्रार्थीगण की ओर से कृषि भूमि की जमाबंदी प्रदर्श 49 एवं मृतक के बैंक स्टेटमेंट की फोटोप्रति प्रदर्श 48 पत्रावली पर पेश की गयी है जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया है। मेरे मत में उक्त कृषि जमाबंदी एवं बैंक स्टेटमेंट से मृतक की कोई निश्चित आय होना साबित नहीं पायी गयी है। मृतक की आय को साबित करने के लिए कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है जिससे मृतक की मासिक आय उक्त कार्यों से 35,000/—रूपये होना साबित होता हो। अतः मेरे मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतक को एक अकुशल श्रेणी की श्रमिक मानकर घटना दिवस दिनांक 05.11.2020 को लागू राजस्थान सरकार की श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी मासिक **आय 7560 —/रूपये** निर्धारित की जाती है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय **7560 X 12 = 90,720/— रूपये आती है।**

भविष्य वृद्धि

(43) हम ऊपर मृतक की वार्षिक आय **90,720/– रूपये** होना मान चुके है। इस आय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य (निर्णय दिनांक 31/10/2017)** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु **35** होने के कारण, रूपये **90,720** का **40** प्रतिशत राशि **36,288 /–** रूपये और जोड़े जाने पर मृतक की काल्पनिक वार्षिक आय **90,720 + 36,288 = 1,27,008** संगणित होती है।

स्वंय के खर्चे पेटे कटौती:

(44) मृतक की आय् **1,27,008 /– रूपये वार्षिक** मानी गई है। जहां तक मृतक के स्वयं के खर्चे के रूप में कटौती का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरण में मृतका पर आश्रितों की संख्या 3 बताई गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में मृतक की आय में उसके स्वयं के खर्चे के पेटे 1/3 राशि कम किया जाना न्यायाचित है। अतः मृतक की कुल वार्षिक आय **42,336 /–रूपये** में से 1/3 भाग अर्थात् **रूपये** मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कम किए जाने पर **1,27,008 – 42,336 = 84,672/– रूपये वार्षिक** रह जाती है।

Multiplier (गुणांक)

(45) चूंकि मृतक की उम्र 35 वर्ष होना मानी गई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील संख्या 3483 / 08 श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य निर्णय दिनांक 15.04.2009** में प्रतिपादित सिद्धांतो व दिशा–निर्देशों की रोशनी में मृतक की उम्र 35 वर्ष

होने के कारण इसमें 16 का Multiplier (गुणांक) का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है। अतः मृतक के आश्रितों को आय की क्षति के रूप में गणना करने पर **84,672 X 16 = 13,54,752/— रूपये (शब्दो में तेरह लाख चौवन हजार सात सौ बावन रूपये)** होती है।

सम्पत्ति की हानि व अन्य व्यय के बारे में:

(46) जहां तक मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप संपदा क्षति, मृतक के दाह संस्कार एवं प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न हैं, इस संबंध में प्रार्थी संख्या 3 अपने पति के सहचर्य से सदैव के लिए वंचित हो गया है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.2017** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी को अपनी पत्नी के सहचर्य **(Spousal Consortium)** से वंचित होने के मद में 40,000/— रूपये, सम्पति के नुकसान के मद में 15,000/— रूपये एवं अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के मद में 15,000/— रूपये इस प्रकार कुल **70,000/— रूपये** दिलवाया जाना न्यायोचित है तथा **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 25590/2014 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य निर्णय दिनांकित 31.10.2017 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) संख्या 2705/2020 यूनाईटेड इन्श्योरेंस लिमिटेड कम्पनी बनाम शतीन्द्र कौर उर्फ शतविन्द्र कौर** की रोशनी में प्रार्थी सं. 1 व 2 मृतक के पुत्र व पुत्री को **Perental Consortium** स्वरूप **40000 X 2 = 80,000 रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः—

क्र	मद व किस्म	राशि	कुल

1	आय की हानि के लिए	**84,672 X 16**	**13,54,752 /–रूपये**
2	मृतक के अंतिम संस्कार की मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
3	संपदा क्षति के मद में	**15,000/– रूपये**	**15,000/– रूपये**
4	मृतक के पति को(**Spousal Consortium)** स्वरूप	**40,000/– रूपये**	**40,000/– रूपये**
5	मृतक के पुत्र व पुत्री को प्रत्येक को **Perental Consortium** स्वरूप	**40,000 X 2/– रूपये**	**80,000/– रूपये**
	कुल राशि		**15,04,752/– रूपये**

प्रार्थीगण, उपरोक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि पूर्व में प्रार्थीगण ने कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हो तो वह राशि इसमें समायोजित होने योग्य है।

<u>तनकी संख्या 5 अनुतोष –</u>

(47) ये तनकी अनुतोष सें संबंधित है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मोटर दुर्घटना में क्लैम आवेदन संख्या 319/2021 में शान्ति देवी की मृत्यु होने के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थी क्षतिपूर्ति स्वरूप **8,63,596/– रूपये (अक्षरे आठ लाख तरेसठ हजार पांच सौ छियानवे रूपये)** तथा क्लैम आवेदन संख्या 320/2021 भीखाराम की मृत्यु होने के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि **16,11,280/– रूपये (अक्षरे सौलह लाख ग्यारह हजार दो सौ अस्सी रूपये)** तथा क्लैम आवेदन संख्या 321/2021 गीता देवी की मृत्यु होने के प्रतिकर स्वरूप प्रा. र्थीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि **15,89,424/– रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख नवासी हजार चार सौ चौबीस रूपये)** तथा क्लैम आवेदन संख्या 322/2021 दुर्गा देवी की मृत्यु होने के प्रतिकर स्वरूप प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि **15,04,752/– रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख चार हजार सात सौ बावन रूपये)** प्रार्थीगण.अप्रार्थीगण संख्या 1

ता 3 से पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि पूर्व में प्रार्थीगण ने कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की हो तो वह राशि इसमें समायोजित होने योग्य है। प्रार्थीगण उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुति की दिनांक से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होगें। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3/ देयकर्ता पंचाट आज दिनांक से दो माह की अवधि में अवार्ड राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थीगण आज दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। क्लेम याचिका में अंकित शेष क्षतिपूर्ति राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। **हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4 ता 6 को प्रतिकर के दायित्व से मुक्त किया गया है।**

:: पंचाट ::

परिणामतः उक्त क्लैम आवेदन पत्रों में पंचाट निम्न प्रकार पारित किया जाता है:–

(1) क्षतिपूर्ति याचिका संख्या 319/2021 प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध में संयुक्ततः व पृथक पृथक रूप से कुल **8,63,596/– रूपये (अक्षरे आठ लाख तरेसठ हजार पांच सौ छियानवे रूपये)** का पंचाट पारित किया जाता है। याचिका में अन्य क्षतिपूर्ति स्वरूप चाही गई राशि के संबंध में, प्रार्थी की प्रार्थना खारिज की जाती है। प्रार्थी पंचाट की राशि **8,63,596/– रूपये (अक्षरे आठ लाख तरेसठ हजार पांच सौ छियानवे रूपये)** पर याचिका प्रस्तुति की दिनांक से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आज दिनांक से दो माह की अवधि में अवार्ड राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थीगण आज दिनांक से 12

प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

(2) क्षतिपूर्ति याचिका संख्या 320/2021 प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध में संयुक्ततः व पृथक पृथक रूप से कुल **16,11,280/— रूपये (अक्षरे सौलह लाख ग्यारह हजार दो सौ अस्सी रूपये)** का पंचाट पारित किया जाता है। याचिका में अन्य क्षतिपूर्ति स्वरूप चाही गई राशि के संबंध में, प्रार्थी की प्रार्थना खारिज की जाती है। प्रार्थीगण पंचाट की राशि **16,11,280/— रूपये (अक्षरे सौलह लाख ग्यारह हजार दो सौ अस्सी रूपये)** पर याचिका प्रस्तुति की दिनांक से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आज दिनांक से दो माह की अवधि में अवार्ड राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थीगण आज दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

(3) क्षतिपूर्ति याचिका संख्या 321/2021 प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध में संयुक्ततः व पृथक पृथक रूप से कुल **15,89,424/— रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख नवासी हजार चार सौ चौबीस रूपये)** का पंचाट पारित किया जाता है। याचिका में अन्य क्षतिपूर्ति स्वरूप चाही गई राशि के संबंध में, प्रार्थीगण की प्रार्थना खारिज की जाती है। प्रार्थीगण पंचाट की राशि **15,89,424/— रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख नवासी हजार चार सौ चौबीस रूपये)** पर याचिका प्रस्तुति की दिनांक से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आज दिनांक से दो माह की अवधि में अवार्ड राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थीगण आज दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

(4) क्षतिपूर्ति याचिका संख्या 322/2021 प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध में संयुक्ततः व पृथक पृथक रूप से कुल **15,04,752/— रूपये (अक्षरे**

पंद्रह लाख चार हजार सात सौ बावन रूपये) का पंचाट पारित किया जाता है। याचिका में अन्य क्षतिपूर्ति स्वरूप चाही गई राशि के संबंध में, प्रार्थीगण की प्रार्थना खारिज की जाती है। प्रार्थीगण पंचाट की राशि **15,04,752/— रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख चार हजार सात सौ बावन रूपये)** पर याचिका प्रस्तुति की दिनांक से अदायगी तक 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 आज दिनांक से दो माह की अवधि में अवार्ड राशि जमा नहीं कराते है तो प्रार्थीगण आज दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें। **हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4 ता 6 को प्रतिकर के दायित्व से मुक्त किया गया है।**

प्रार्थीगण के भविष्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें पंचाट की राशि का निम्न प्रकार से भुगतान किया जायेगा :—

<u>(1) याचिका संख्याः— 319/2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि</u>

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	मियादी/एफ.डी.आर.
1	कनिष्का, प्रार्थी सं. 1	..	2 लाख रूपये बालिग होने पर 2 वर्ष के लिए।
2	कनिका, प्रार्थी सं. 2	...	2 लाख रूपये बालिग होने पर 2 वर्ष के लिए।
3	तनुजा यादवप्रार्थी सं.3	..	2 लाख रूपये बालिग होने पर 2 वर्ष के लिए।
4	रघुवीर सिंह,प्रार्थी सं.4	2,63,596/— रूपये + सम्पूर्ण पंचाट राशि का ब्याज	...

<u>(2) याचिका संख्याः— 320/2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि</u>

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	मियादी/एफ.डी.आर.
1	कनिष्का, प्रार्थी सं. 1	..	3 लाख रूपये बालिग होने पर 3 वर्ष के लिए।

2	कनिका, प्रार्थी सं. 2	...	3 लाख रूपये बालिग होने पर 3 वर्ष के लिए।
3	तनुजा यादवप्रार्थी सं.3	..	3 लाख रूपये बालिग होने पर 3 वर्ष के लिए।
4	रघुवीर सिंह,प्रार्थी सं.4	**5,11,280 / — रूपये + सम्पूर्ण पंचाट राशि का ब्याज**	2 लाख रूपये 2 वर्ष के लिए।

(3) याचिका संख्याः— 321 / 2021 कनिष्का आदि बनाम नेमीचंद आदि

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	मियादी / एफ.डी.आर.
1	कनिष्का, प्रार्थी सं. 1	..	**2,89,424 / — रूपये + सम्पूर्ण पंचाट राशि का ब्याज,** बालिग होने पर। 3 लाख रूपये बालिग होने पर 4 वर्ष के लिए।
2	कनिका, प्रार्थी सं. 2	...	3 लाख रूपये बालिग होने पर 4 वर्ष के लिए। 2 लाख रूपये बालिग होने पर 6 वर्ष के लिए।
3	तनुजा यादव प्रार्थी सं. 3	..	3 लाख रूपये बालिग होने पर 4 वर्ष के लिए। 2 लाख रूपये बालिग होने पर 6 वर्ष के लिए।

(4) याचिका संख्याः— 322 / 2021 कोमल आदि बनाम नेमीचंद आदि

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाता	मियादी / एफ.डी.आर.
1	कोमल प्रार्थी संख्या 1	**2,04,752 / — रूपये + सम्पूर्ण पंचाट राशि का ब्याज**	3 लाख रूपये 2 वर्ष के लिए।
2	दिनेश प्रार्थी संख्या 2	----	3 लाख रूपये बालिग होने पर 4 वर्ष के लिए। 2 लाख रूपये बालिग होने पर 6 वर्ष के लिए।
3	सुन्दरलाल प्रार्थी संख्या 3	**3,00,000 / —रूपये**	2,00,000 / —रूपये दो वर्ष के लिए।

— अप्रार्थीगण को राशि भुगतान के संबंध में निम्न दिशा—निर्देश दिये जाते हैः—

— अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 / देयकर्ता को पंचाट की प्रति प्रेषित कर

निर्देशित किया जाता है कि वह पंचाट में पारित राशि को अधिकरण के बैंक **केनरा बैंक, तापड़िया बगीची, स्टेशन रोड़, सीकर के खाता संख्या Judge, MACT, Sikar A/C 84301010001881, आई.एफ.एस.सी. कोड CNRB0018430** में सीधे ही **NEFT** या **RTGS** करें।

– अप्रार्थी संख्या 1 ता 3/देयकर्ता पंचाट की पालना कें संबंध में 15 दिवस के भीतर सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण को सूचित करेंगे।
– राशि जमा होने के पश्चात अधिकरण का बैंक पंचाट प्रतिकर राशि का भुगतान याचिकाकर्ता / पीड़िता को बैंक खाते में NEFT या RTGS करेंगे।
– प्रार्थीगण/ प्रार्थी का बैंक, प्रार्थीया या अन्य किसी व्यक्ति को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशिस्वीकृत नहीं करेगा और ना ही परिपक्व अवधि से पूर्व उनका भुगतान करेगा।
– प्रार्थीगण/प्रार्थी का बैंक, अधिकरण की अनुमति के बिना न ही कोई चैक बुक जारी करेगा। प्रार्थीगण /प्रार्थी का बैंक, अधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रार्थीगण के खाते में अन्य किसी व्यक्ति का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में नहीं जोड़ेगा।
– प्रतिकर राशि प्राप्त करने वाले पक्षकार, जिनकी राशि को सावधि जमा में जमा कराने का आदेश पारित किया गया है, विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर सावधि जमाओं को तोड़ने या ऋण लेने के लिए अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे एवं तत्समय अधिकरण उचित आदेश पारित करेगा।

(विनोद कुमार गिरी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
सीकर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26/05/2026 को खुले अधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार गिरी)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.27 12:15:43 IST